

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई, 2018-ज्येष्ठ 4, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मंगल प्रसाद लंहगीर पुत्र श्री भगवानदास था एवं समस्त दस्तावेजों, शासकीय, अंकसूची एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मंगल प्रसाद लंहगीर है, अब मैं अपना उपनाम (सरनेम) बदलकर मंगल प्रसाद कोरी पुत्र श्री भगवानदास कर दिया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(मंगल प्रसाद लंहगीर)

नया नाम :

(मंगल प्रसाद कोरी)

पता-म. नं.-12, विवेकानंद नगर,
रजत नगर काम्पलेक्स के पीछे,
पो. पिपलानी, भोपाल (म.प्र.).

(121-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में सुशीला कुशवाह था तथा शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती शीला कुशवाह पत्नि श्री माधौ सिंह कुशवाह, निवासी गेड़े वाली सड़क, न्यू शांति नगर, ग्वालियर हो गया है. मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक की पास बुक इत्यादि में मेरा नाम श्रीमती शीला कुशवाह के नाम से ही दर्ज है. अतः मुझे श्रीमती शीला कुशवाह पत्नि श्री माधौसिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है. सुशीला कुशवाह एवं श्रीमती शीला कुशवाह मेरे दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं. मेरे पति के सर्विस बुक में अंकित सुशीला कुशवाह के स्थान पर मेरा नाम श्रीमती शीला कुशवाह पत्नि श्री माधौसिंह कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जायें. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(सुशीला कुशवाह)

नया नाम :

(शीला कुशवाह)

निवासी गेड़े वाली सड़क, न्यू शांति नगर,
ग्वालियर.

(124-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में जय प्रकाश शर्मा पिता राम स्वरूप शर्मा, माता पार्वती बाई, निवासी गाड़वे की गोठ, लाला का बाजार, लशकर, ग्वालियर था. मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्णकांत तिवारी है, अतः मुझे मेरे नए नाम से ही जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(जयप्रकाश शर्मा)

(123-बी.)

नया नाम :

(कृष्णकांत तिवारी)

पिता: रामस्वरूप शर्मा,
माता: पार्वती बाई,
गाड़वे की गोठ, लाला का बाजार,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह पूर्व नीतू शर्मा पुत्री जयनारायण शर्मा एवं विवाह उपरांत नीतू अग्रवाल पत्नी विकास अग्रवाल, निवासी सी-35, जवाहर कॉलोनी, कम्पू, ग्वालियर हो गया था. अब मैं, अपने विवाह का पूर्व नाम नीतू शर्मा रख रही हूँ जो कि मेरे अंकसूची एवं दस्तावेजों में भी अंकित है. अतः भविष्य में मुझे नीतू शर्मा पत्नी विकास अग्रवाल के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(नीतू अग्रवाल)

पत्नी विकास अग्रवाल.

(125-बी.)

नया नाम :

(नीतू शर्मा)

पत्नी विकास अग्रवाल.
वर्तमान निवासी: सी-35, जवाहर कॉलोनी,
कम्पू, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम जयती अग्रवाल था. अब मैंने अपनी पुत्री का नाम जयती अग्रवाल से बदलकर अनुश्री अग्रवाल रख लिया है. अतः भविष्य में सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरी पुत्री को अनुश्री अग्रवाल के ही नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

सूचनाकर्ता—

अवधेश अग्रवाल,

बी-2/19, विनय नगर, सेक्टर-4,
गौरी शंकर विद्यालय के पास, ग्वालियर (म.प्र.).

(126-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र दिव्यांशु पुत्र श्री राजेश खत्री का (LIC) बीमा पॉलिसी में पूर्व में नाम गोविन्द खत्री अंकित हो गया है तथा समस्त दस्तावेजों में दिव्यांशु खत्री नाम ही अंकित है. ये दोनों नाम मेरे पुत्र दिव्यांशु खत्री के ही हैं. अब भविष्य में मेरे पुत्र को समस्त दस्तावेजों में दिव्यांशु खत्री के नाम से जाना-पहचाना जावे.

राजेश खत्री,

उदाजी की पायगा,

मेवाती मोहल्ला, जनकगंज, लशकर, ग्वालियर.

(127-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जगदीश झलारिया शा. प्रा. वि. मेलमुण्डला संकुल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उन्हेल, विकासखण्ड खाचरौद, जिला उज्जैन में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ, मेरे समस्त शालेय एवं शासकीय/अशासकीय एवं सेवा अभिलेखों में मेरा पूरा नाम जगदीश झलारिया दर्ज चला आ रहा है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर जगदीश झाला कर लिया है.

अतः मेरा परिवर्तित नाम जगदीश झाला मेरे सेवा अभिलेखों एवं समस्त शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जाकर पढ़ा जावे व भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अशासकीय कार्यों में मेरा परिवर्तित नाम जगदीश झाला से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(जगदीश झलारिया)

पुत्र-श्री अंबाराम.

नया नाम :

(जगदीश झाला)

पुत्र-श्री अंबाराम झाला,
निवासी-29/3, गणेशधाम कॉलोनी,
साँवेर रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(128-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, विक्रम सिंह रजक पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, माता श्रीमती शांति देवी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ढोलीबुआ का पुल, सूबे का बाड़ा कन्या विद्यालय के पास लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) मेरे दस्तावेजों में विक्रम सिंह रजक की जगह विक्रम सिंह राज सभी दस्तावेजों में किया जावे।

अतः मेरा नाम विक्रम सिंह राज के नाम से जाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(विक्रम सिंह रजक)

नया नाम :

(विक्रम सिंह राज)

पिता: श्री राजेन्द्र सिंह,
माता: श्रीमती शांति देवी.

(129-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, दीप्ति भदौरिया पत्नी श्री अखिलेंद्र सिंह भदौरिया, निवासी बी-59, सागर एवेन्यू, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल म.प्र. सूचित करती हूँ कि विवाह के पूर्व मेरा नाम दीप्ति राजपूत था. अतः विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती दीप्ति भदौरिया हो गया है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती दीप्ति भदौरिया के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(दीप्ति राजपूत)

नया नाम :

(दीप्ति भदौरिया)

निवासी-बी-59, सागर एवेन्यू,
अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल.

(130-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राधिका वासवानी पति स्व. श्री मनोहर लाल वासवानी, उम्र 63 वर्ष, निवासी 18, सखी विहार कॉलोनी, गोमती की फड़ी, सिकन्दर कम्पू लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश मेरा शादी से पूर्व का नाम कौशल्या बनवानी पुत्री स्व. श्री सुमरमल बनवानी था एवं शादी के उपरान्त मेरा नाम सामाजिक रस्मों रिवाज के कारण राधिका वासवानी हो गया. अतएव मैं अपने नाम को परिवर्तित करके राधिका वासवानी रखना चाहती हूँ. अतः आज दिनांक से भविष्य में मुझे राधिका वासवानी के नाम से जाना जाये तथा समस्त व्यवहार में एवं दस्तावेजों में इसी नाम से जाना एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(कौशल्या बनवानी)

नया नाम :

(राधिका वासवानी)

निवासी-18, सखी विहार, कॉलोनी,
गोमती की फड़ी, सिकन्दर कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश.

(131-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पति सर्विस नं. 2644516, रैंक Hony. Hav. बिशुनाथ सिंह, यूनिट रक्षा सुरक्षा कोर्प्स (DSC) में कार्यरत थे. उनके सेवा अभिलेख में मेरा नाम श्रीमती हेमवती देवी (Hemwati Devi) अंकित है. यह सर्व-साधारण को सूचित हो

कि श्रीमती हेमवती देवी (Hemwati Devi) जन्मतिथि 22 दिसम्बर, 1953, निवासी पहाड़े कॉलोनी के पीछे, ब्राइट केरियर स्कूल, गुलाबरा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश 480001 एवं श्रीमती हेमवती ठाकुर (Hemwati Thakur) जन्मतिथि 22 दिसम्बर, 1953, निवासी पहाड़े कॉलोनी के पीछे, ब्राइट केरियर स्कूल, गुलाबरा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480001 दोनों एक और एक ही महिला है।

पुराना नाम :

(हेमवती देवी)

(133-बी.)

नया नाम :

(हेमवती ठाकुर)

पत्नी श्री बिशुनाथ सिंह,
निवासी-पहाड़े कॉलोनी के पीछे, ब्राइट केरियर स्कूल,
गुलाबरा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम महेश सोगानी पिता तिलोक चंद जैन है किन्तु मेरे पैनकार्ड में मेरा नाम महेश कुमार जैन पिता कमल चंद जैन लिखा गया था, जो कि मेरे किसी भी दस्तावेज में नहीं लिखा हुआ है, केवल मेरे पैनकार्ड में ही किसी भूल से लिखा गया है. अतः मेरे पैनकार्ड में भी हमारा सही नाम महेश सोगानी पिता तिलोक चंद जैन ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(महेश कुमार जैन)

पिता कमल चंद जैन.

(136-बी.)

नया नाम :

(महेश सोगानी)

पिता तिलोक चंद जैन,
28/3, साउथ तुकोगंज नाथ मंदिर रोड,
इन्दौर मध्यप्रदेश.

CHANGE OF NAME

I, Kumar Rishav Agrawal S/o Mr. Narayan Prasad Agrawal, Resident of Flat No. 505, Annapurna Complex PNT Square Kotra Sultanabad Road, Bhopal 462003 M.P. declare that my previous name was Kumar Rishav at my present or new name Kumar Rishav Agrawal S/o Mr. Narayan Prasad Agrawal.

Old Name:

(KUMAR RISHAV)

(137-B.)

New Name :

(KUMAR RISHAV AGRAWAL)

S/o Mr. Narayan Prasad Agrawal.

आम सूचना

मेसर्स P.S.Y ग्रेनाईट भागीदारी फर्म के रूप में दिनांक 25 मई, 2017 को निर्माण हुआ, जिसमें श्री पुष्पेन्द्र सिंह यादव पिता श्री ओंकार सिंह यादव एवं श्री संदीप यादव पिता श्री राजेन्द्र सिंह यादव, श्री पीयूष सिंह यादव पिता श्री पुष्पेन्द्र सिंह यादव, श्री प्रत्यूष सिंह यादव पिता श्री पुष्पेन्द्र सिंह यादव भागीदारी थे, यह फर्म रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड है. रजिस्ट्रेशन क्रमांक 04/14/01/0050/17, सन् 2017-18 के रूप में सम्मिलित हुए हैं. दिनांक 09-03-2018 को मेसर्स P.S.Y में श्रीमती सुधा यादव पति श्री पुष्पेन्द्र सिंह यादव इस फर्म में नए भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं तथा फर्म का पता प्लॉट नं. 201 संघी रेसीडेन्सी राईट टाउन, जबलपुर है.

मेसर्स P.S.Y ग्रेनाईट,

पुष्पेन्द्र सिंह यादव,

(भागीदार),

पता-प्लॉट नं. 401 संघी रेसीडेन्सी राईट टाउन,

जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.).

(135-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. कासलीवाल इलेक्ट्रीकल्स, पता 52, पीरगली इमली बाजार मेन रोड, इन्दौर म.प्र. रजिस्ट्रेशन क्रमांक आईएफ/44/99-2000, दिनांक 21-07-1999 से एक भागीदारी फर्म है, उक्त भागीदारी फर्म में 1. श्री पारस कुमार कासलीवाल, 2. अभय कासलीवाल एवं 3. अजय कासलीवाल तीनों निवासी एयरपोर्ट रोड, इन्दौर भागीदार थे. दिनांक 03-04-2014 से उक्त भागीदारी फर्म में अमन कासलीवाल नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये थे. अब दिनांक 01-04-2018 से 1. पारस कुमार कासलीवाल एवं 2. अभय कासलीवाल जी फर्म से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं अब इस फर्म का संचालन अजय कासलीवाल एवं अमन कासलीवाल जी कर रहे हैं. उक्त दोनों भागीदारों ने आपसी सहमति से फर्म का नया पता बी-6, पार्क व्यू बिल्डिंग, धेनुमार्केट, इन्दौर कर दिया है.

मे. कासलीवाल इलेक्ट्रीकल्स,

अजय कासलीवाल,

(भागीदार).

(140-बी.)

PUBLIC NOTICE

Know all men by these presents and public notice that in the partnership firm M/s. Vanshika Construction, Deori, Rajmarg, Distt. - Narsinghpur (M.P.), ku. Vanshika Sharma D/o. Shri Sanjay Sharma has been admitted in the firm as a new partner from 01.04.2018 (from opening hours of business) and other partners are continue in the firm. That the name of all the partners are as under :- 1. Smt. Nisha Sharma W/o. Shri Sanjay Sharma, 2. Smt. Kusum Sharma W/o Late Shri Umashankar Sharma, 3. Smt. Krishna Ghanghoria W/o. Shri Lakhan Ghanghoria, 4. Shri Ram Lal Jhariya S/o Shri Khanchedi Lal Jhariya 5. Shri Dinesh Sen S/o Halke Prasad Sen, 6. Shri pahulad singh patel S/o Shri Shyam Singh Patel, 7. Harinarayan Sharma S/o. Shri Jagannath Prasad Sharma, 8. Shri Dharmendra Sharma S/o. Kanhaiya Lal Sharma and 9. Ku. Vanshika Sharma D/o. Shri Sanjay Sharma.

Place : Deori, Rajmarg (M.P.)

Date:16-04-2018

M/s. Vanshika Construction,

RAMLAL JHARIYA,

(Partner).

(138-B.)

PUBLIC NOTICE

Know all men by these presents and public notice that in the partnership firm M/s. Sharma Associates, Deori, Rajmarg, Distt.- Narsinghpur (M.P.), Shri Anurag Sharma S/o. Shri Ravindra Sharma, Shri Sailendra Singh Sisodia S/o. Shri Netram Singh Sisodia and Shri Satendra Sharma S/o. Shri Rudra Narayan Sharma has been Retired from partnership firm from 31.03.2018 (after closer of business hours) and Ku. Vanshika Sharma D/o. Shri Sanjay Sharma has been admitted in the firm as a new partner from 01.04.2018 (from opening hours of business) and other partners are continue in the firm. That the name of all the partners are as under:- 1. Smt. Nisha Sharma W/o. Shri Sanjay Sharma, 2. Smt. Kusum Sharma W/o. Late Shri Umashankar Sharma, 3. Shri Ram Lal Jhariya S/o. Shri Khanchedi Lal Jhariya, 4. Shri Dinesh Sen S/o. Halke Prasad Sen, 5. Harinarayan Sharma S/o. Shri Jagannath Prasad Sharma, 6. Shri Dharmendra Sharma S/o. Kanhaiya Lal Sharma and 7. Ku. Vanshika Sharma D/o. Shri Sanjay Sharma.

Place : Deori, Rajmarg (M.P.)

Date:16-04-2018

M/s. Sharma Associates,

DINESH SEN,

(Partner).

(139-B.)

PUBLIC NOTICE**NOTICE U/S 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that in the firm of M/s Patel Wines and Fruit Processing Industries; Village- Titari Dist.- Ratlam (M.P.) registered partnership firm vide Registration no. 07/37/01/00019/06/2006-07; dated 19-06-2006 with the Registrar of Firms. The firm was constituted vide partnership deed executed on 04-08-2011 in between partners 1. Shri Jamnalal Patidar S/o Shri Bherulalaji Patidar, 2. Shri Samrathmal Patidar S/o Shri Jhamaklalji Patidar, 3. Shri Motilal Patidar S/o Shri Ramnarayanji Patidar, 4. Laxminarayan Patidar S/o Shri Balaram Patidar, 5. Balkrishna Patidar S/o Shri Shankarlal Patidar, 6. Ishwarlal Patidar S/o Shri Kanjilal Patidar, 7. Baharatlal Patidar S/o Shri Balaramji Patidar, 8. Banshilal Patidar S/o shri mangilal patidar, 9. Shantilal Patidar S/o Shri Ambaram Patidar, 10. Shankarlal Patidar S/o Shri Ambaram Patidar, 11. Kailashchandr Patidar S/o Shri Kanhaiyalal Patidar, 12. Amritlal Patidar S/o Shri Ambaram Patidar, 13. Sukhdev Patidar S/o Shri Lalchand Patidar, 14. Mohanlal Patidar S/o Shri Jagannath Patidar, 15. Omprakash Patidar S/o Shri Vishnulal Patidar, 16. Dinesh Patidar S/o Shri Rameshchand Patidar, 17. Satyanarayan Patidar S/o Shri Bala Ram Patidar, (All above resident of Gram Titri, Ratlam) 18. Shri Vinay Chaudhary S/o Shri Anandji Chaudhary (Resident of Gwalior).

In the firm subsequently following changes have occurred on 12-04-2018 vide partnership agreement dated 12-04-2018 and the following partners have joined the firm:-

1. Shri Chhotela Patidar S/o Shri Ramanarayan ji Patidar.

For M/s Patel Wines and Fruit Processing Industries,

MOTILALPATIDAR,

(Partner).

(141-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स M/s. Kamal Enterprises, पता 3ए/48, साकेत नगर, भोपाल मध्यप्रदेश की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं। Mrs. Shraddha Shukla W/o Mr. Sunil Shukla, R/o 3A/48, Saket Nagar, Bhopal (M.P.) दिनांक 24-04-2018 से भागीदारी फर्म से पृथक् हुए। Mrs. Kamla Shukla W/o Mr. Surendra Shukla, R/o 3A/48, Saket Nagar, Bhopal (M.P.) दिनांक 24-04-2018 से भागीदारी फर्म से पृथक् हुए।

M/s. Kamla Enterprises,
Sunil Shukla,
(भागीदार).

(132-बी.)

3A/48, Saket Nagar, Bhopal (M.P.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s. JAINWIN TRADING CORPORATION, Address 19/Mangalwara jain Mandir, Bhopal (M.P.) प. क्र. 0535/17, दिनांक 22-03-2017 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं। (1) Plotus Coaltrans private limited (CIN-U74999MP2017PTC042808) A Company incorporated under the companies Act, 2013 and having its registered office at HB-66 Old Subhash Nagar JU LIG Abhiruchi Parisar, Govindpura, Bhopal (M.P.) 462001 Acting through its Director Shri Burhanddin S/o Late Shri Yousuf Ali, adult R/o 6, Aliganj, Near Jumerati Post office Bhopal (M.P.) (Hereinafter called third party) दिनांक 23-03-2018 से भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए। (1) PLOTUS TRADELINK PRIVATE LIMITED (CIN-U74999MP2017PTC042893) A Company incorporated under the companies Act 2013 and having its registered office at HB-66 Old Subhash Nagar JU LIG Abhiruchi Parisar, Govindpura, Bhopal (M.P.) 462001 Acting through its Director Shri Swadeep Sharma S/o Late Shri R.B. Sharma, Adult R/o 111, Leeladhar Colony, Bhanpur Road, Bhopal (M.P.) (Hereinafter called third party) दिनांक 23-03-2018 से भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए।

M/s. JAINWIN TRADING CORPORATION,
Burhanuddin
(भागीदार).

(134-बी.)

19, Mangalwara jain Mandir, Bhopal (M.P.)

विविध**निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 11 मई, 2018

निविदा सूचना संशोधन

क्र. जी. बी.5(वि-1)2018-19/1197.—आई. टी. विभाग की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर/रीवा की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में एकत्रित कागज की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटके के विक्रय हेतु ऑनलाईन ई-निविदा दिनांक 08-05-2018 को आमंत्रित की गई थी।

2. मध्यप्रदेश शासन की ई-प्रोक्च्यूरमेंट साईट पर मरम्मत कार्य दिनांक 7 एवं 8 मई, 2018 को होने के कारण ई-टेंडर कार्य नहीं होने से निविदा आमंत्रण की, की-डेट्स पुनः निर्धारित की गई है।
3. निविदा सूचना क्र. जी. बी. 5(1)/18-19/948, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 से आमंत्रित निविदा में अंकित तिथि 7, 8 एवं 9 मई, 2018 को छोड़कर निविदा में निहित नियम एवं शर्तें आदि यथावत रहेंगी।
4. की-डेट्स अनुसार ऑनलाईन तकनीकी भाग दिनांक 25 मई, 2018 को अपराह्न 03.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष डाउनलोड किया जावेगा तथा हार्ड कॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जायेगा।
5. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण एवं शर्तों को वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।
6. किसी भी प्रकार संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

कुसुम छारी,
संयुक्त नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(594)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, तहसील बैतूल, जिला बैतूल

प्र. क्र. 1 ब/113(1)/2017-18.

दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को जारी

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि आवेदक नवनीत गर्ग अध्यक्ष/सचिव सिद्ध दशमहा विद्या श्री श्री छिन्नमस्तिका मातेश्वरी ट्रस्ट, बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत कथित लोक न्यास के पंजीकरण के लिये आवेदन सह प्रारूप (न्यास का प्रारूप) प्रस्तुत किया है, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 21 मई, 2018 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. सार्वजनिक न्यास का नाम व पता | : | सिद्ध दशमहा विद्या श्री श्री छिन्नमस्तिका मातेश्वरी ट्रस्ट, बैतूल, तहसील व जिला बैतूल. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

संजीव केशव पाण्डेय,

(548)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लश्कर, जिला ग्वालियर

प्र.क्र. 02/बी-113(1)/2017-18.

ग्वालियर, दिनांक 04 मार्च, 2018

प्ररूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः कि श्रीमती अलका झवर पत्नी श्री भरत झवर, निवासी-सराफा बाजार, ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः मैं, विनोद सिंह, अनुविभाग लश्कर लोक न्यास का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता | : | “बागडी चेरिटेबल ट्रस्ट, सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर”. |
| 2. न्यास की चल सम्पत्ति | : | 11,000/-. |
| 3. न्यास की अचल सम्पत्ति | : | निरंक |

आज दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(592)

प्र.क्र. 01/बी-113(1)/2017-18.

ग्वालियर, दिनांक 08 मई, 2018

प्ररूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः कि श्री विष्णु कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मोहनलाल सर्राफ, निवासी-गंज गेट, सदर बाजार, मुरार आदि ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 25 मई, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः मैं, विनोद सिंह, अनुविभाग लश्कर लोक न्यास का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : "महाराजा अग्रसेन सेवा न्यास" अग्रसेन भवन, तेजेन्द्रनाथ की गली, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
2. न्यास की चल सम्पत्ति : 10,000/-.
3. न्यास की अचल सम्पत्ति : शेख दाउद की तलैया, दाल बाजार के पीछे, लश्कर स्थित कम्प्यूटरीकृत संपत्ति क्रमांक 105813 भवन क्रमांक 37/1656 एवं 37/1657 क्षेत्रफल 697.30 वर्गमीटर, जिसमें 418.49 वर्गमीटर खुली भूमि एवं 278.81 वर्गमीटर पर भवन निर्मित है.

आज दिनांक 08 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विनोद सिंह,
पंजीयक.

(570)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, इटारसी**प्ररूप क्रमांक-4**

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, इटारसी जिला के समक्ष.

यतः कि प्रमोद बबेजा अध्यक्ष रोटरी क्लब, इटारसी एवं नवनीत कोहली, सचिव, रोटरी क्लब, इटारसी, तहसील इटारसी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 12 जून, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः मैं, आर. एस. बघेल, अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी वास्ते लोक न्यास का पंजीयक, जिला होशंगाबाद का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 01 मई, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध

कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम	:	रोटरी ट्रस्ट, इटारसी, जिला होशंगाबाद,
2. कार्यालय का पता	:	रोटरी भवन, न्यास कॉलोनी, आयकर भवन के पीछे, इटारसी
3. अचल सम्पत्ति	:	1 करोड़ रुपया की संपत्ति (रोटरी भवन, न्यास कॉलोनी)
4. औसत सकल वार्षिक आय	:	लगभग 5,00,000/- रुपया
5. औसत वार्षिक व्यय	:	4,00,000/- रुपया.
6. चल सम्पत्ति	:	3, डायलिसिस मशीन.

आज दिनांक 01 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रकाशित किया गया।

आर. एस. बघेल,
पंजीयक.

(571)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक जितेन्द्र उपाध्याय पिता स्व. श्री ईश्वरचन्द्र उपाध्याय, निवासी-621, खातीवाला टेंक, इन्दौर, वर्तमान पता-11, तम्बोली बाखल के द्वारा "ईश्वर पारमार्थिक ट्रस्ट" पता-621, खातीवाला टेंक, इन्दौर, मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम 4 (2) के तहत निर्धारित प्रारूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	ईश्वर पारमार्थिक ट्रस्ट
पता	:	कार्यालय पता-621, खातीवाला टेंक, इन्दौर, मध्यप्रदेश
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 9,000/- (नौ हजार मात्र) है जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है।
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(572)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री सत्यनारायण पिता हिरालाल गोयल, निवासी-सी/4, नन्दनवन कॉलोनी, नवलखा चौराहा, इन्दौर के द्वारा "ब्रह्म पीठाधिपति श्री श्री नारायण देवाचार्यजी सेवाआश्रम ट्रस्ट" कार्यालय 101, हार्मोनी प्लाजा, सपना संगीता रोड, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	ब्रम्ह पीठाधिेश्वर श्री श्री नारायण देवाचार्यजी सेवा श्रम ट्रस्ट
पता	:	101, हार्मोनी प्लाजा, सपना संगीता रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति	:	निरंक
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

जमील खान,

(591)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी/लोक न्यास पंजीयन अधिकारी, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर

रा.प्र.क्र./01/बी-113/2016-17.

दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

प्रारूप-तृतीय

[नियम पांच(1) देखिये]

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश के समय यह कि आवेदक भारती सिंह पति भरत सिंह, निवासी बम्हनी, तहसील पुष्पराजगढ़ व्यवसाय समाज सेवा थाना राजेन्द्रग्राम, जिला अनूपपुर ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया गया है। एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 25 मई, 2018 को न्यायालय में विचार लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन तारीख में एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते हैं, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख के अन्दर व्यक्तिशः अथवा प्लीडर, अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त किसी भी प्रकार के आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम	:	भारती चेरिटेबिल ट्रस्ट ग्राम बम्हनी, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर.
2. चल सम्पत्ति	:	नगद रुपये 1001.00/-.
3. अचल सम्पत्ति	:	ग्राम बम्हनी, तहसील पुष्पराजगढ़ की आराजी खसरा क्रमांक 248 का अंश भाग 0.010 हे. भूमि.

बाला गुडके,

(593)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 252, दिनांक 12 जून, 2017 तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नारियाखेड़ा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 571, दिनांक 06 मई, 1985 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. राजावत, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(573)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1388, दिनांक 03 अगस्त, 2017 श्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, नानाधाराखेड़ा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1557, दिनांक 18 मार्च, 2015 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(574)

एस. कुमार्स सिनफेब्स सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 839, दिनांक 29 फरवरी, 1997 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2375, दिनांक 30 अक्टूबर 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है, संस्था सदस्य संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 982, दिनांक 23 मार्च, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस. कुमार्स सिनफेब्स सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 839, दिनांक 29 फरवरी, 1997 को अधिनियम की धारा-69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(575)

क्र./परि./2018/1273.-नागरिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 80, दिनांक 20 अप्रैल, 1962 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 378, दिनांक 28 फरवरी, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है, संस्था सदस्य संस्था को चलाने

में कोई रुचि नहीं रखते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 983, दिनांक 23 मार्च, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 80, दिनांक 20 अप्रैल, 1962 को अधिनियम की धारा-69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती तरूणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(576)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1441, दिनांक 9 अगस्त, 2017 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दयालनगर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1188, दिनांक 03 सितम्बर, 2007 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(577)

देवास दिनांक 25 अप्रैल, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सखी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, देवास

मैना श्री काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, देवास.

क्र./परि./2018/1275.—सखी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 931, दिनांक 13 मार्च, 2001 है, जिसका निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 1249, दिनांक 08 फरवरी, 2018 से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था। रिटर्निंग अधिकारी के पत्र दिनांक 31 मार्च, 2018 अनुसार संस्था विगत वर्षों से बंद है। प्रबंधक से संस्था में जाकर सम्पर्क करने पर संस्था उक्त पते पर नहीं पायी गई, संस्था सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं लेना बताया है, संस्था में वर्तमान में कोई कर्मचारी भी कार्यरत नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के द्वितीय चक्र के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 10 मई, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(578)

देवास दिनांक 25 अप्रैल, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दुधवास.

क्र./परि./2018/1276.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दुधवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1393, दिनांक 30 जनवरी, 2014 है. जिसका निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 6402, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. रिटर्निंग अधिकारी के पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2018 अनुसार संस्था विगत वर्षों से बंद है. संस्था सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं. संस्था में वर्तमान में कोई कर्मचारी भी कार्यरत नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 10 मई, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(579)

देवास दिनांक 25 अप्रैल, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधक/प्रशासक,

विश्वास प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, देवास.

क्र./परि./2018/1277.—विश्वास प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 711, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 है. वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2489, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है, परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. प्रशासक द्वारा अपने आवेदन अनुसार संस्था सदस्य संस्था को चलाने में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेना बताया है एवं संस्था द्वारा अपनी उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 10 मई, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.
(580)

देवास दिनांक 25 अप्रैल, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इकलेरा (सतवास).

क्र./परि./2018/1278.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इकलेरा (सतवास), जिसका पंजीयन क्रमांक 1516, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 है. जिसका निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 2240, दिनांक 09 मार्च, 2018 से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था. रिटर्निंग अधिकारी के पत्र दिनांक 31 मार्च, 2018 अनुसार संस्था अध्यक्ष एवं सचिव पर चर्चा उपरांत संस्था सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं लेना बताया है, संस्था में वर्तमान में कोई कर्मचारी भी कार्यरत नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के द्वितीय चक्र के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 10 मई, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.
(581)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घटियाकलां	550/07-01-1981	968/23-03-2018
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोकिलाखेडा	1126/15-05-2006	994/23-03-2018

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाए, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में

साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(582)

प्रेरणा जांभेकर,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 26 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/782.—आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्यादित., सिरोंज के अध्यक्ष द्वारा संस्था के पंजीयन समाप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पत्र के संलग्न संस्था के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 03 मार्च, 2018 से प्रस्ताव/ठहराव में स्पष्ट किया है कि संस्था के सदस्यगण उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में समर्थ नहीं हैं तथा सदस्यों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है। ऐसी स्थिति में संस्था का कार्य संचालन विगत वर्षों से अकार्यशील होने से संचालक मंडल द्वारा संस्था के पंजीयन समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्यादित., सिरोंज में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है तथा संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्यादित., सिरोंज, जिसका पंजीयन क्रमांक 14311, दिनांक 10 मार्च, 1959 के संचालक मंडल के अनुरोध पर संस्था को परिसमापन में किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरोंज को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ एवं समापक को सहयोग करने हेतु श्री फरीद खाँ (संस्था सदस्य) को अधिकृत करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(583)

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शहडोल

शहडोल, दिनांक 31 मार्च, 2018

क्र./स्था./2018/8.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शहडोल राव कॉलोनी में संचालित था। बैंक परिसमापन में आने के कारण कार्यालय खाली कर दिया गया है। वर्तमान में समस्त पत्र व्यवहार एवं संपर्क निम्न पते पर किया जावे।

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, मध्यप्रदेश।

(584)

बी. एस. परते,
उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आजाद हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1135	856/09-04-2018
2.	लक्ष्य साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1851	857/09-04-2018
3.	इंडस्ट्रियल माइनिंग वर्क्स सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	17	853/09-04-2018
4.	शिवम उत्खनन कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1627	854/09-04-2018
5.	जिला कामगार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	775	85/09-04-2018
6.	श्रीराम लघु आय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	207	3686/23-12-2017
7.	वसुन्धरा खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या., सूअरकोल जबलपुर	1684	710/21-03-2018
8.	जय माँ खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., चुन्हौटा, मझौली जबलपुर	1665	709/21-03-2018

अतः मैं, अरविन्द जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

अरविंद जैन,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(585)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	पीताम्बरा महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1906	503/27-02-2018
2.	ईंधन आपूर्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर	278	504/27-02-2018

1	2	3	4
3.	नागरिक कल्याण साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	2009	502/27-02-2018
4.	शिक्षित बेरोजगार खनिज सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1771	659/14-03-2018
5.	आदि. खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1757	658/14-03-2018
6.	बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	732	645/13-03-2018
7.	जैन महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1905	644/13-03-2018
8.	दलित गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1805	643/13-03-2018
9.	संत रविदास चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1528	646/13-03-2018

अतः मैं, विवेक जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

विवेक जैन,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(586)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महावीर खनिज उत्ख. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	479	661/14-03-2018
2.	अजा. एवं जनजाति सफाई काम. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1884	660/14-03-2018
3.	राजीव गाँधी चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1531	690/20-03-2018
4.	हरिजन चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., मझौली, जबलपुर	1543	689/20-03-2018
5.	आदि. लघु कृषि सहकारी समिति मर्या., पिटकुटी, जबलपुर	94	692/20-03-2018
6.	न्यू महावीर कृषि उद्यान सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1935	691/20-03-2018
7.	नर्मदा ग्रामीण खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., सिहोरा	1689	708/21-03-2018
8.	महाकौशल खनिज उत्ख. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1696	707/21-03-2018
9.	श्री नरसिंह ग्रामीण खनिज सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1729	706/21-03-2018

अतः मैं, रघुनाथ कुदोलिया, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(587)

रघुनाथ कुदोलिया,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	विनोद विवेक विहार वृक्षारोपण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	240	858/09-04-2018
2.	दि जनता गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1520	861/09-04-2018
3.	स्टार रेडीमेड उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	786	860/09-04-2018
4.	सतगुरू स्टील उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	580	859/09-04-2018
5.	अखिल भारतीय अनुजाति सफाई काम. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1928	3485/16-11-2017
6.	मां नर्मदे श्रमठेका सफाई काम. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1865	3486/16-11-2017
7.	महानगर सफाई काम. कल्याण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1901	3487/16-11-2017
8.	वाल्मिकी सफाई कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	2131	3683/23-12-2017
9.	जे.टी.एम. सफाई काम. विकास सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1945	3684/23-12-2017
10.	नगर निगम स्वास्थ्य विभाग कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	439	3685/23-12-2017

अतः मैं, टी. आर. चौधरी, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

टी. आर. चौधरी,

उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(588)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	धनुषधारी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर	1446	3484/16-11-2017

अतः मैं, टी. आर. विदेही, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

टी. आर. विदेही,

उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(589)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जयदीप प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर	1506	3488/16-11-2017
2.	शिविका मल्टीप्रिंटर्स सहकारी समिति मर्या. जबलपुर	1844	3489/16-11-2017

अतः मैं, श्रीमती माया मालिनी ऐंथोनी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(590)

माया मालिनी ऐंथोनी,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई, 2018-ज्येष्ठ 4, शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा निम्न जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक :- तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोट, मंदसौर, सीतामऊ (मंदसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), बाजना, ताल, रावटी, पिपलौदा (रतलाम), खाचरौद, उज्जैन, बडनगर (उज्जैन) शाजापुर (शाजापुर), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, सौण्डवा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), देपालपुर, इन्दौर (इन्दौर), खरगौन (खरगौन), बड़वानी, राजकोट, सेंधवा, पानसेमल, बरला, निवासी (बड़वानी) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक :- तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), ठीकरी (बड़वानी) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी व बालाघाट में कहीं-कहीं जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **बोनी.**— जिला बुरहानपुर में गेहूँ, चना, जिला गुना में गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनिया व मटर, जिला डिण्डोरी में गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर एवं जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, नीमच, इन्दौर, बड़वानी, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, सिवनी व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी का कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

4. फसल स्थिति-

5. **कटाई.**— जिला बुरहानपुर में फसल कपास की चुनाई जिला दमोह, खरगौन, सिवनी, सीधी, उज्जैन में खरीफ फसलों की कटाई कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

6. **सिंचाई.**— जिला मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, बड़वानी, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा व जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **चारा.**- राज्य के जिला शिवपुरी में चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा तुअर -कम (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मसूर, मटर समान. (2) तुअर, गन्ना- सुधरी. शेष फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	5.0				
2. कराहल	4.0				
3. विजयपुर	3.0				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
9. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसल, समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा अपर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. फसल गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनिया, मसूर की बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर, चना, मटर, राई-सरसों, गेहूँ-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) धान, तिल, अधिक तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान्य है.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	. .				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बुवाई कार्य प्रारम्भ.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .				
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी आलू, प्याज-कम. (2) उपरोक्त फसलें कम.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	. .				
2. खुरई	. .				
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी फसल बोनी कार्य चालू. खरीफ फसल की कटाई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, ज्वार, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, अलसी, जौ, राई-सरसों, तिवड़ा, मसूर, सुधरी हुई (2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	. .				
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, जौ, राई-सरसों, मटर, अलसी. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .				
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों-कम. चना, मसूर, अलसी, तुअर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .				
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, तिल अधिक. कोदों, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .				
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर समान गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसले समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .				
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी फसलों का बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) धान कम. मक्का, कोसे-कुटकी, मूंगमोठ समान. उड़द, तुअर, ज्वार, तिल अधिक. (2) धान, मक्का बिगड़ी हुई. शेष फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .				
2. पाली	. .				
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी फसलों की बोनी चालू. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू	3. . . 4. (1) अलसी, चना, मसूर समान. राई-सरसो, गेहूँ, जौ-कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .				
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) ज्वार, राहर, राई-सरसों, गेहूँ-कम. अलसी, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .				
2. देवसर	. .				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें असामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .				
2. भानपुरा	1.0				
3. मल्हारगढ़	3.5				
4. गरोठ	5.8				
5. मंदसौर	6.0				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	5.0				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	9.2		4.(1) गेहूँ, मटर कम. चना, मसूर अधिक. राई, सरसों-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	11.0		(2) गेहूँ, चना, राई- सरसों-समान.		
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	8.0				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2 . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4.(1) गेहूँ, चना कम. समा अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	11.0				
5. ताल	14.0				
6. रावटी	6.0				
7. पिपलोदा	9.0				
8. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 कटाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	3.0		4.(1) गेहूँ, चना, मसूर, आलू, प्याज, लहसुन, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	4.0				
6. बड़नगर	4.0				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4.(1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	. .		4.(1) तुअर, चना-अधिक. गेहूँ, प्याज, लहसुन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	0.4		(2) उपरोक्त फसलें सामान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	. .				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4.(1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, तिल मूंगफली-अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		सोयाबीन, कपास-कम.		
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. हाटपिपल्या	. .				
7. सतवास	. .				
8. उदयनगर	. .				
9. खातेगांव	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, कपास, मूंगफली समान. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	9.2		4. (1) ज्वार, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	7.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. कट्टीवाड़ा	2.0				
4. सोंडवा	10.0				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	8.3				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	30.8				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		मक्का, कपास, गन्ना कम.		
3. धार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों का बोनी कार्य प्रारम्भ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	0.8				
4. हातोद	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल कटाई का कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास अधिक. धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंगफली, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	1.8				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	2.4		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	18.0		ज्वार, कपास कम.		
3. राजकोट	1.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेंधवा	1.5				
5. पानसेमल	15.0				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	1.0				
9. निवाली	16.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) सोयाबीन, ज्वार कम. उड़द, मूंगफली, तुअर, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) ज्वार मूंगफली, मक्का समान.		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. चना एवं गेहूँ की बोवनी चालू एवं फसल कपास की चुनाई का कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4.(1) कपास, तुअर-कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) . .		
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ-कम, गन्ना-समान. चना, मसूर-अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. इच्छावर	. .				
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) सोयाबीन, धान कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		मक्का अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी हो रही है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) धान उड़द- अधिक,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		सोयाबीन, मूंग तुअर-कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		गन्ना.		
4. इटारसी	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी.		
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) सोयाबीन कम. उड़द, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		मक्का अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गोहूँ, चना, मसूर, राई-कम	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		मटर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		(2) गोहूँ, सुधरी शेष फसलें		
4. पाटन	. .		बिगड़ी.		
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर-समान	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) तुअर, धान, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन, मूंग समान (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, मक्का, तिल,सोयाबीन, रामतिल. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी चालू.	3. . . 4.(1) धान, कोदों-तुअर, रामतिल समान. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जामई (जुन्नारदेव) 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पाहुणा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू रबी की बोनी कार्य चालू. खरीफ की कटाई चालू	3. . . 4. (1) धान, मक्का, कोदों, तुअर, मूंग, तिल, रामतिल, अम्बाड़ी कम. ज्वार, समा. उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. घनोरा 8. घंसोर				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई चालू. रबी की बोनी चालू.	3. . . 4. (1) धान सामान्य. (2) धान सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लांजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबर्गा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलांजी	. .				

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.